प्रभात खबर
पटना, सोमवार
30.07.2018 | 09

सख्ती. रेरा ने 16 कंपनियों के 55 प्रोजेक्टों को भेजा नोटिस

पांच गुना तक बढ़ सकता है चालू प्रोजेक्ट के रजिस्ट्रेशन पर जुर्माना

संवाददाता ▷ पटना

रियल इस्टेट के चालू प्रोजेक्ट का अब तक रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, बिहार (रेरा) में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले बिल्डरों व रियल इस्टेट कंपनियों के पास अंतिम दो दिन मौका है. इन दो दिनों में रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर उनको एक अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुल्क का पांच गुना या पांच लाख रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है. दरअसल चालू प्रोजेक्ट के मुकाबले आधे का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होने की वजह से रेरा अथॉरिटी ने इसके संकेत दिये हैं. हालांकि, इस मामले पर मंगलवार को अंतिम निर्णय लिया जायेगा.

अब तक 550 ही मिले ऑनलाइन आवेदन : आकलन के मुताबिक सूबे में 1000 से कहीं अधिक रियल इस्टेट प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले अब तक महज 550 प्रोजेक्ट का ही ऑनलाइन आवेदन मिला है. ऐसे में कड़े कदम उठाये जा रहे हैं. अथॉरिटी ने अन रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का सर्वे कर उन पर कार्रवाई को लेकर एजेंसी के चयन की प्रक्रिया भी शुरू की है, लेकिन यह पूरी नहीं हो पाने की वजह से इस बार भी बिल्डरों पर जुर्माना लगा कर उनको छोड़ा जा सकता है.

पढ़ें विशेष पेज 12 पर .

इस मामले पर कल लिया जायेगा अंतिम निर्णय

रेरा सदस्य राजीव भूषण सिन्हा ने बताया कि बगैर रेरा में निबंधन कराये जमीन-फ्लैट की बिक्री कर रही 16 रियल इस्टेट कंपनियों के 55 प्रोजेक्ट को लेकर नोटिस भेजा गया है . खास बात है कि इनमें से अधिकांश मामले मुजफ्फरपुर, भागलपुर, भोजपुर व रोहतास जिले से संबंधित हैं . रेरा प्राधिकार धीरे-धीरे पटना से बाहर के जिलों में भी कार्रवाई का दायरा बढ़ा रहा है . अब तक करीब 185 प्रोजेक्ट के मामले में संबंधित रियल इस्टेट कंपनियों व बिल्डरों को रेरा की नोटिस थमाई जा चुकी है . हालांकि, रेरा अब बिल्डरों के साथ ही जमीन का कारोबार करने वाले माफियाओं पर भी शिकंजा कसने की तैयारी में जुट गया है .

95 फीसदी बिल्डर छुपा रहे पुराना रिकॉर्ड

रेरा प्राधिकार के मुताबिक प्रोजेक्ट के लिए आवेदन करने वाले बिल्डरों में 95 फीसदी से अधिक अपना पुराना रिकॉर्ड छिपा रहे हैं . जबकि, एक्ट में प्रावधान है कि प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन कराने वाले सभी रियल इस्टेट कंपनियों को अपने पिछले पांच साल का रिकॉर्ड भी देना है . संसाधनों की कमी के चलते प्राधिकार फिलहाल इस बिंदु पर कार्रवाई नहीं कर रहा, लेकिन आने वाले समय में इस प्रावधान का भी सख्ती से पालन कराया जायेगा .